दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

काम वाली बाई ने साथी के साथ मिलकर मालिक के घर में की चोरी, तमनार पुलिस ने किया गिरफ्तार

न्याय साक्षी/रायगढ़। इंदिरानगर तमनार में रहने वाले बसंत साहू पिता स्व0 गजानंद साहू उम्र 43 वर्ष ग्राम थाना तमनार द्वारा दिनांक 25.09.19 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके घर में दिनांक 20.09.2019 को श्रीमती शरण सिदार उर्फ सरिता सिदार उम्र 30 वर्ष निवासी बागबाड़ी तमनार को पूर्व में काम करने वाली श्रीमती लक्ष्मी बाई घरेलू काम के लिये लेकर आयी थी। दोनों दो दिनों तक काम करने आये। इसी बीच घर के अलमारी से सोने की चैन, कान के टाप्स, पैर पट्टी 02 नग, नई साडियां 08-09 नग, सलवार सूट, नगद कैश 11500 रूपये कोई अज्ञात चोरी कर ले गया। बसंत साहू द्वारा दोनों के ऊपर चोरी की शंका जहिर किया और थाना तमनार में रिपोर्ट दर्ज कराया, रिपोर्ट पर थाना तमनार में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 185/19 धारा 457, 380 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दरम्यान आज श्रीमती शरण सिदार उर्फ सरिता सिदार एवं श्रीमती लक्ष्मी बाई को तलब कर पूछताछ किया गया एवं दोनों के घरों की तलाशी ली गई। श्रीमती शरण सिदार उर्फ सरिता सिदार के घर से एक चोरी की हुई साड़ी बरामद हुई, तथा लक्ष्मी बाई के घर से कोई सामाग्री जप्ती योग्य नहीं मिला। आरोपियों श्रीमती श्रीमती शरण सिदार उर्फ सरिता सिदार के कबूलनामे के बाद उसे आज गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

दुकान का ताला तोड़कर कीटनाषक व इलेक्ट्रानिक कांटा पार

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना डोंगरीपाली अन्तर्गत ग्राम कालाखूंटा स्थित सेत कृषि केंद्र कालाखूंटा का दिनांक 20-21.09.19 के दरम्यानी रात शटर का ताला तोडकर कृषि संबंधी दवाई एवं कम्प्यूटर कांटा जुमला कीमती करीबन 48000 रूपये को अज्ञात चोर चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट आज प्रार्थी सेतकुमार पटेल पिता स्व. श्रीराम लाल उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम कालाखूंटा द्वारा थाना डोंगरीपाली में आवेदन देकर दर्ज कराया गया है, रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 42/19 धारा 457,380 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

टी.आई. जुटमिल के नेतृत्व में वारंटियों की धरपकड़ हुई तेज

» जुटमिल पुलिस द्वारा 04 गिरफ्तारी व 01 स्थायी वारंटी को किया गया न्यायालय पेश
» चक्रधरनगर व जुटमिल पुलिस ने सट्टा-पट्टी लिखने वाले 07 व्यक्तियों से जप्त किये सट्टा-पट्टी नगदी 9010 रूपये जप्त
» जनरल स्टोर/पूजा सामाग्री भंडार पर अवैध रूप से फटाका बिक्री पर खरसिया पुलिस ने की कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन पर जुटमिल पुलिस की लघु अधिनियम एवं प्रतिबंधात्मक धाराओं पर प्रभावी कार्यवाही निरंतर जारी है।

आज दिनांक 26.09.19 को अति. पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन पर चौकी प्रभारी जुटमिल निरीक्षक अंजना केरकेट्टा के नेतृत्व में जुटमिल चौकी में पदस्थ विवेचकगण की अलग-अलग टीमें बनाकर वारंट तामिली के लिये अभियान चलाया गया। इस दौरान स्थायी वारंटी - राकेश सिंह पिता बिंदेश्वर सिंह निवासी झोपड़ीपारा जूटमिल रायगढ़ (अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम) एवं 04 वारंटी जिनके विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किये गये हैं, उन्हें हिरासत में लेकर न्यायालय पेश किया गया है, वारंटी - (1) ललित कुमार चौहान पिता के लाल चौहान उम्र 45 साल केनापाली चौकी जूटमिल (2) सुधेश्वर ओगरे पिता श्याम चरण उम्र 19 साल निवासी गढउमरिया रायगढ़ (3) गोलू केवट पिता जोगिंदर केवट उम्र 26 वर्ष निवासी छातामुड़ा एफसीआई गोदाम के पास तीनों आबकारी एक्ट के आरोपी हैं। (4) मनोहर सिदार भूतपूर्व सरपंच अमलीभौना जूटमिल द्वारा शासकीय बकाया राशि जमा नहीं करने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

इसके साथ ही नगर पुलिस अधीक्षक अविनाश सिंह ठाकुर के निर्देशन पर थाना चक्रधरनगर एवं जुटमिल पुलिस द्वारा आज अभियान चालाकर क्षेत्र में सट्टा पट्टी लिखने वालों के ठिकानों पर दबिश देकर रेड कार्यवाही किया गया, जिसमें 07 आरोपियों से हजारों रूपयों के सट्टा-पट्टी लिखी हुई पर्ची एवं नगद रूपये 9010 जप्त किया गया है। आरोपियों के विरूद्ध धारा 4(क) जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

सट्टा पट्टी लिखते पकड़े गये आरोपीगण-

(1) सत्येन्द्र देवांगन पिता स्व. रामधन देवांगन उम्र 23 वर्ष साकिन आई.टी.आई. कालोनी अम्बेडकर आवास थाना चक्रधरनगर रायगढ जप्ती- रकम रू.990 एवं सट्टा पट्टी।

(2) अनिल देवांगन पिता तीजराम देवांगन उम्र 33 वर्ष निवासी आई.टी.आई. कालोनी अम्बेडकर आवास थाना चक्रधरनगर जप्ती- रकम रू.3040 एवं सट्टा पट्टी।

(3) रवि देवांगन पिता महेत्तर देवांगन उम्र 42 वर्ष साकिन गोपालपुर कोरियादादर थाना जप्ती- सट्टा पर्ची एवं नगदी रकम 1430 रूपये।

(4) सतोष भारद्वाज पिता सुरेंद्र कुमार भारद्वाज उम्र 35 साल निवासी गढउमरिया जप्त- सट्टा पट्टी एवं रू.1000 नगद

(5) अजय चौहान पिता भोला चौहान उम्र 22 वर्ष निवासी मिट्ठुमुड़ा, जप्ती- सट्टा पट्टी एवं रू.900 नगद

(6) हरिशंकर पिता सत्यनारायण रावत उम्र 40 वर्ष निवासी एफसीआई गोदाम छातामुड़ा नाका, जप्ती- सट्टा पट्टी रू.850

(7) मनोज टंडन पिता रामसाय टंडन 45 वर्ष झोपड़ीपारा कबीरचौक रायगढ़, जप्ती- रकम रू.810 एवं सट्टा पट्टी।)

टी.आई. खरसिया निरीक्षक सुमतराम साहू के नेतृत्व में आज दिनांक 26.09.19 को मुखबिर सूचना पर खरसिया पुलिस द्वारा सुभाष जनरल स्टोर सुभाष चौक खरसिया एवं सुमन पूजा दुकान स्टेशन रोड खरसिया में अवैध रूप से विस्फोटक फटाका बिक्री करते पाये गये। सुभाष जनरल स्टोर से विभिन्न प्रकार के विस्फोटक फटाका जुमला कीमती 21,000/- रूपये को गवाहों के समक्ष अंकित अग्रवाल पिता सुभाष अग्रवाल उम्र 27 वर्ष सा0 टीआईटी कालोनी खरसिया थाना खरसिया से जप्त किया गया है तथा सुमन पूजा दुकान से विभिन्न प्रकार के विस्फोटक फटाका जुमला कीमती 20,000/- रूपये को सुनील अग्रवाल पिता गजानंद अग्रवाल उम्र 32 वर्ष सा0 स्टेशन रोड खरसिया थाना खरसिया से जप्त किया गया है। व्यापारियों के विरूद्ध थाना खरसिया में 9(ख) विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है।

थाना कोतवाली द्वारा सट्टा पट्टी पर कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना सिटी कोतवाली रायगढ द्वारा 26 सितंबर को क्षेत्रांर्गत्त कोतवाली पुलिस द्वारा सट्टा पट्टी पर रेड कार्यवाही कर 10 आरोपियों का पकड़ा गया है। आरोपियों में-

1. जावेद अली पिता जाकिर अली उम्र 25 साल निवासी तुर्कापारा रायगढ से जप्त रकम 550 रू.,

2. रोहित वर्मा पिता अनिल वर्मा उम्र 25 साल निवासी तुर्कापारा रायगढ जप्त रकम 600 रू,

3. संजय ठेठवार पिता बलराम ठेठवार उम्र 54 साल निवासी लालटंकी बहिदार पारा जप्ती करम 540 रू..

4. बजरंग साहू पिता सीताराम साहू उम्र 32 साल निवासी शहीद चौक नयागंज रायगढ जप्ती रकम 1480 रू.

5. रजिया बेगम पिता खलील उम्र 45 साल निवासी बीडपारा रायगढ जप्ती रकम 1200 रू.

6. विक्की दुवे पिता कामता दुबे उम्र 35 साल निवासी लक्ष्मीपुर रायगढ जप्ली रकम 500 रू,

7. राजेश शर्मा पिता रामकुमार शर्मा उम्र 35 साल निवासी डिमरापुर जप्ती रकम 4000 रू..

8. मनोज कटकवार पिता परसराम कटकवार उम्र 40 साल निवासी धांगरडीपा जप्ती रकम 360 रू.

9. रितेश ठेठवार पिता विष्णु प्रसाद ठेठवार उम्र 19 साल निवासी वीडपारा जप्ती रकम 490 रू.

10. ओम प्रकाश पैंकरा पिता कृषनाथ पैंकरा उम्र 31 साल निवासी तुर्कापारा जप्ती रकम 100 रू.

उपरोक्त आरोपियों को पकड़कर सभी आरोपियो से मौके पर सट्टा पट्टी मौके पर जप्त कर पृथक पृथक धारा 4(क) साव. धुत अधि. के तहत कार्यवाही की गई कूल 10 आरोपियो से जप्ती रकम जुमला 9920 रू. है।

दो सट्टा खाईखाल को किया गिरफ्तार खरसिया थाना व चौकी की संयुक्त कार्यवाही

» करीब 2 लाख रूपये नगद के साथ नोट गिनने की मशीन, 02 मोबाईल व 8 लाख की सट्टा-पट्टी जप्त

न्याय साक्षी/ रायगढ़। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन पर जिले भर में सट्टा-पट्टी लिखने वालों के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है । इसी क्रम में नवपदस्थ खरसिया एसडीओपी पीताम्बर पटेल के नेतृत्व में चौकी खरसिया एवं थाना खरसिया की संयुक्त टीम बनाकर दो खाईखाल पुरानी बस्ती के अर्जुन राठौर तथा छपरीगंज के विक्की अग्रवाल के घर रेड की कार्यवाही किया गया । आरोपी अर्जुन राठौर निवासी पुरानी बस्ती के घर से नगद 183100/- (एकलाख तिरासी हजार एक सौ रुपये) तथा आरोपी विक्की अग्रवाल निवासी छपरी गंज से 11040 रु (ग्यारह हजार चालीस रुपये.) सहित एक नोट गिनने की मशीन, 02 नग मोबाईल और लगभग 8 लाख की सट्टा पट्टी जब्त किया गया । दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना खरसिया में 4 (क) द्रुत अधिनियम के तहत कार्यवाही गई है । पृथक से दोनों पर प्रतिबंधात्मक धारा 151 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही कर रिमांड पर भेजा गया है ।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐक्ता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी तकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य साथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
● संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
● पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
● संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
● संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
● संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायगा।

पढ़िए ....
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

CAREER SCHOOL
स्थापना दिनांक 1 जुलाई 1996
पिछले 22 वर्षो से लगातार बच्चों के साथ...
ADMISSION OPEN
ENGLISH MEDIUM
For Nuresery to 10th
Topper Students Last Session
Join CAREER...
Major Facts
1/ Well Qualified Teachers....
2/ A perfact ratio of Techers and Students regarding classes...
3/ Complete Caring Atmosphere.
4/ Good and Equipped Class rooms....
5/ Value based education like daily classes for Logical Maths, G.K.,English Grammar....
6/ CCTV equipped School...
7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday....
8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School....
CAREER SCHOOL
ENGLISH MEDIUM
BEHIND STADIUM STREET
RAIGARH C.G.
07762-221359

तत्काल आवश्यकता है
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग
वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....
न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास,
रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की
खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं.
9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHHHIN/2018/76480